न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोंठ, जिला झांसी।

अंतिम रिपोर्ट वाद सं0 –21/2025
जे.ओ.कोड–यू.पी. 3567
उपस्थितः– शुभम चौधरी (उ.प्र. न्यायिक सेवा)

मलखान **बनाम** **अज्ञात**

अं0सं0–134/2024
धारा–379,420 भा0दं0सं0
थाना–मोंठ,
जिला– झांसी।

दिनांकः–01.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया, पुकार पर प्रथम सूचनाकर्ता **उपस्थित** है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फौ0 वाद, वादिनी/वादी मुकदमा **मलखान** द्वारा **अज्ञात** के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त मामले में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। अंतिम रिपोर्ट में विवेचक द्वारा तमामी विवेचना, पूछतांछ संदिग्ध व्यक्ति, पूछताछ मुखबिर व अन्य, सुरागरस्सी आदि से घटना कारित करने वाले अभियुक्त का पता नहीं चल पाने के कारण अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। उक्त आधारों पर अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत करने की याचना की गई है। वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया, वादी उपस्थित हुआ उसके द्वारा रिपोर्ट स्वीकार किये जाने के बावत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।

अंतिम आख्या के निस्तारण के बावत यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय अंतिम आख्या को स्वीकार कर सकता है या अंतिम आख्या को निरस्त कर सकता है या अग्रिम विवेचना का आदेश पारित कर सकता है या मामले में सीधे प्रसंज्ञान ले सकता है। अंतिम आख्या निस्तारण करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार से आदेश पारित कर सकता हैः–

1. यदि न्यायालय यह पाती है कि विवेचना विधि अनुसार की गयी है तथा विवेचना में कोई त्रुटि नहीं है तो अंतिम आख्या न्यायालय स्वीकार कर सकती है।

2. यदि न्यायालय यह पाती है कि विवेचना दोषपूर्ण है तथा किसी बिन्दु पर अतिरिक्त विवेचना की आवश्यकता है अथवा अतिरिक्त साक्ष्य संकलित किया जाना आवश्यक है तो मामले में अग्रिम विवेचना हेतु आदेश पारित कर सकती है।

3. यदि प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय यह पाती है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त साक्ष्य

हैं तो मामले में सीधे प्रसंज्ञान ले सकती है तथा अभियुक्त को तलब कर सकती है।

4. यदि वादी मुकदमा द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में विवेचना की कमियों को बताया गया हो तथा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र के साथ अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हों तो न्यायालय अंतिम आख्या को अस्वीकार करते हुए प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर सकती है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचनाकर्ता की सूचना के आधार पर उपरोक्त अपराध संख्या में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत करायी थी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना बयान वादी तथा अन्य गवाहो, सामान्य जानकारी तथा मुखविर खास से जानकारी किये जाने के बावजूद घटना कारित करने वाले व्यक्ति का पता न चल पाने के कारण अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

अंतिम आख्या प्राप्त होकर पंजीकृत होने के उपरान्त प्रथम सूचनाकर्ता को नोटिस के माध्यम से आहूत किया गया, नोटिस तामील हुआ, जिसके पश्चात् वादी मुकदमा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि वह पुलिस द्वारा की गयी विवेचना से संतुष्ट है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत विवेचना आख्या, केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि मामले में सम्यक विवेचना की गयी है तथा घटना कारित करने वाले अभियुक्त के बारे में जानकारी प्राप्त न हो पाने के कारण अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी है। विवेचना में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुकदमा **अपराध संख्या 134/2024 अन्तर्गत धारा 379,420 भा0दं0सं0 थाना मोंठ,** जिला झांसी के मामले में विवेचक द्वारा प्रस्तुत **अंतिम आख्या सं0 22/2024 दिनांकित 29.12.2024** स्वीकार की जाती है। प्रकीर्ण वाद/अंतिम रिपोर्ट वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शुभम चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोंठ, झांसी
जे.ओ.कोड 3567